न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 30/2025 G.C.M.S. No. 2025/199 दर्ज दिनांक : 07.02.2025

अपीलार्थिगण:

1. मांगीलाल पुत्र कानाराम, जाति माली, उम्र 80 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नेमाराम पुत्र सीमाराम, जाति माली, उम्र 65 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।
2. प्रेमचंद पुत्र सीमाराम, जाति माली, उम्र 70 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।
3. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील सोजत, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2016 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थितः–

1. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री धर्मीचंद देवासी, श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 04.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2016 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि सरहद ग्राम सोजत चक–2, तहसील सोजत, जिला पाली के खसरा नम्बर 2708 रकबा 0.4600 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 2720 रकबा 0.5500 किस्म चाही दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर भूमि बसामलाती अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के आई हुई हैं। उक्त भूमि में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 का 1/4 हिस्सा तथा अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा स्थित है। उक्त खसरान का बंटवारा हेतु एक वाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधिनस्त न्यायालय द्वारा उक्त वाद में बिना तनकीयात कायम किये व बिना साक्ष्य के प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2017 को पारित कर दी गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

01 के द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 के विरुद्ध जो वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसमें वादग्रस्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के बंटवारा चाहा गया। उक्त कृषि भूमि का सभी सहखातेदारों के मध्य पूर्व से ही मौखिक बंटवारा किया जाकर सभी सह खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है व पूर्वजों के समय से काश्त करते आ रहे हैं। अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से के अनुसार बंट में आई भूमि पर मेहन्दी लगा रखी है। जो काफी वर्षों से है। अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 द्वारा अपने जवाबदावे में तथा साथ में संलग्न नक्शे में अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट्स की बंट की व काश्त की भूमि का स्पष्ट वर्णन किया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा गलत व झूठे व मौके की स्थिति के विपरीत तथ्यों के आधार पर व गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर किसी प्रकार की साक्ष्य न तो अपीलान्ट व न ही रेस्पोंडेन्ट की ली गई व बिना साक्ष्य व सबूत के जैर अपील निर्णय व आदेश पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बंटवारे का था जिसमें मौके की स्थिति को रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक था व पक्षकारों के जवाबदावा आने के बाद तनकीयात गठित कर साक्ष्य लेने के पश्चात विधिवत रुप से आदेश पारित किये जाने चाहिए थें। पटवारी रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की विधिक प्रकिया नहीं अपनाई व मिलीभगत कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 वादी को फायदा पहुंचाने की नियत से जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 वादी द्वारा अपने वाद में तथा संलग्न नक्शे के अनुसार बंटवारा चाहा गया था, जो मौके के बिल्कुल विपरीत है। जिसका अपीलान्ट व अन्य रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 ने विरोध किया व अपने जवाबदावे में संलग्न नक्शे के अनुसार बंट करने का निवेदन किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के कथनों पर किसी प्रकार का कोई मनन नहीं किया व जैर अपील आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट 81 वर्षीय वयोवृद्ध है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का है। अपीलान्ट को अपीलाधीन जैर निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थीं। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उक्त आदेश बाबत कोई सूचना नहीं दी गई थीं। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा दिनांक 27.01.2025 को मौके पर सरकारी आदमी के साथ आये व अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने लगे तब अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई व अपीलान्ट को जानकारी होने पर उसी दिन दिनांक 27.01.2025 को नकल आवेदन पेश किया। दिनांक 03.02.2025 को नकल तैयार की गई अपीलान्ट द्वारा नकल प्राप्त होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क किया। अधिवक्ता ने पाली में अपील करने की सलाह दी। अपीलान्ट रुपये–पैसों का प्रबन्ध कर पाली आया व अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील पेश कर रहा है। अपीलान्ट कानूनी पेचीदगियों व म्यादों से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अनभिज्ञ है। जैर अपील निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थीं। अपील में कानूनी बिन्दु समाहित है। अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर म्याद शुमार किया जाना लाजमी है। इसलिये अपील अन्दर म्याद है। म्याद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र साथ पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत सहखातेदारी भूमि के विभाजन के वादपत्र में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 07.02.2025 को प्रस्तुत की। जो लगभग 2730 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है। जिसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। दिनांक 27.01.2025 को रेस्पोंडेंट संख्या 1 सरकारी आदमी के साथ मौके पर आए तथा अपीलांट को मौके से बेदखल करने लगे, तब सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जिसकी नकल आदि लेकर अधिवक्ता से संपर्क कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.07.2016 से ही अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जा रही थीं। अतः अपीलांट को प्रकरण की आरंभ से ही बखूबी जानकारी थीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरांत एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.10.2024 की अवधि में भी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अपीलांट की ओर से पैरवी की जाती रही हैं। अतः अपीलांट का यह कथन कि उसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं रही, पूर्णतया मनगढ़ंत व आधारहीन कथन है। अपीलांट द्वारा प्रकरण में लगभग 2730 दिवस का दीर्घ विलंब कारित किया। जोकि अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण गठित हुआ है। अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विलंबकाल माफ करने के लिए प्रस्तुत कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति किसी प्रकार का उदार व लचीला रूख अपनाया जाना तथा विलंबकाल माफ किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा।

2. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज की जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली